संख्या-18/2016 481/एक-5-2016-94/2008

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2016**

विषयः- जनपद संतकबीरनगर कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद संतकबीर नगर के कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-2238/1-5-2009-94/08, दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 500.97 लाख के आधार पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 46.70 लाख तथा शासनादेश संख्या-577/एक-5-2010-94/08, दिनांक 26 फरवरी, 2010 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-931/एक-5-2012-94/2008, दिनांक 28 अगस्त, 2012 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 175.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-556/1-5-2013-93/2008, दिनांक 08 अगस्त, 2013 के द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 79.27 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार मानकीकृत लागत रू0 500.97 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-45/एक-5-2016-94/2008, दिनांक 11 मार्च, 2016 द्वारा उक्त कार्य हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 1257.83 लाख (रूपये बारह करोड़ सत्तावन लाख तिरासी हजार मात्र) के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 500.97 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 756.83 लाख के सापेक्ष पंचम किश्त के रूप में रू0 **500.00 लाख** (रूपये पांच करोड) मात्र की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना हेतु पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि न तो स्वीकृत की गयी और न ही अन्य किसी योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।

(2) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुए कार्य निर्धारित समयावधि मार्च, 2017 तक अवश्य पूर्ण कराया जायेगा।

(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के लिये भविष्य में पुनः पुनरीक्षित लागत स्वीकृत किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) प्रायोजना में प्रस्तावित बाट आउट/प्रोपराइटरी श्रेणी के आइटम्स का क्रय तथा इन पर धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

http://sansadarsh.up.nic.in

(5) प्रायोजना में प्रस्तावित/अनुमोदित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेग।

(6) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(7) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) शेष शर्तें मूल शासनादेश के अनुसार यथावत् रहेंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-सरकारी रिहायशी भवन-106 साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या-481/एक-5-2016-94/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- जिलाधिकारी, संतकबीरनगर / कोषाधिकारी लखनऊ।
5- प्रबंध निदेशक, यू0पी0प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
6- राजस्व अनुभाग-6
7- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://finsanadesh.up.nic.in

http://shasandesh.up.nic.in